

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक/2017

सं० सं०-3/स्टे. 2-10/2016...../ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-106, दिनांक 13.06.2017 (प्रति संलग्न) के विषय में अंकित "प्रियवर्त उच्च विद्यालय, पटोरी" के स्थान पर "प्रियवर्त उच्च विद्यालय, पंचगछिया" पढ़ा जाय।

2. स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

ह०/-

(राज कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/स्टे. 2-10/2016...../ पटना, दिनांक/2017
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/स्टे. 2-10/2016...../ पटना, दिनांक/2017
प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/स्टे. 2-10/2016...../ पटना, दिनांक/2017
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/स्टे. 2-10/2016...../ पटना, दिनांक/2017
प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/स्टे. 2-10/2016.589...../ पटना, दिनांक ...12/12/2017
प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्र०पदा० 1 एवं 3/बजट शाखा/कार्यपालक अभियंता/आई०टी० मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप संख्या-3/स्टे. 2-10/2016.....106/ पटना, दिनांक 13/6/2017
सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत सहरसा जिला अंतर्गत सत्तर कटैया प्रखण्ड के प्रियवर्त उच्च विद्यालय, पटोरी में स्टेडियम निर्माण हेतु कुल ₹ 54,74,700/- (चौवन लाख चौहत्तर हजार सात सौ रुपये) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति।
आदेश:- स्वीकृत।

2. राशि का विकलन मांग संख्या-03 के अधीन बजट शीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-0106-स्टेडियम एवं खेल संरचना", विपत्र कोड-03-4059600510106 के अंतर्गत विषय शीर्ष 5301-मुख्य निर्माण कार्य से होगा।
3. इस आय-व्ययक के नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना है, जिनके द्वारा आवंटन निर्गत किया जायेगा।
4. राशि की निकासी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा के द्वारा जिला कोषागार, सहरसा से की जायेगी एवं प्रशासनिक स्वीकृत कार्य का सम्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कार्यान्वयन का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा किया जायेगा।
6. कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी भवन निर्माण विभाग तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2199, दिनांक-24.03.2017 के तहत राशि की स्वीकृति में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 106/

पटना, दिनांक 13/6/2017

प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 106/

पटना, दिनांक 13/6/2017

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 106/


पटना, दिनांक 13/6/2017

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 106/

पटना, दिनांक 13/6/2017

प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्र0पदा0 1 एवं 3/बजट शाखा/कार्यपालक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।